

अध्याय I

प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन चयनित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं आर्थिक क्षेत्र के विभागों की अनुपालना लेखापरीक्षा में उजागर हुए मामलों से सम्बन्धित है।

अनुपालना लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों के व्ययों से जुड़े लेनदेनों की जाँच से सम्बन्धित है। यह सुनिश्चित करेगी कि क्या भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों की अनुपालना की जा रही है। निष्पादन लेखापरीक्षा यह जांच करती है कि क्या कार्यक्रम या गतिविधि के उद्देश्यों को मितव्ययतापूर्वक, कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी रूप से हासिल किया गया है।

प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधान सभा के समक्ष लाना होता है। लेखापरीक्षा मानकों के लिए यह आवश्यक है कि रिपोर्टिंग का वस्तु स्तर, लेनदेनों की प्रकृति, मात्रा एवं महत्व के अनुसार होना चाहिए। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से यह प्रत्याशा की जाती है कि इनसे कार्यपालक सुधारात्मक कार्यवाही करने योग्य बन सके। इससे वे अच्छे शासन में भागीदारी के लिए वित्तीय प्रबंधन में सुधार के लिए नीतियां एवं निर्देश बना सके।

यह अध्याय, लेखापरीक्षा आयोजना एवं आकार की व्याख्या के अतिरिक्त, निष्पादन एवं अनुपालना लेखापरीक्षा में देखी गयी महत्वपूर्ण कमियों के सारांश को प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन के अध्याय II में राज्य में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की भूमिका पर निष्पादन लेखापरीक्षा में उजागर निष्कर्ष शामिल है। अध्याय III में सरकारी विभागों की अनुपालना लेखापरीक्षा में उजागर हुए आक्षेप शामिल है।

1.2 लेखापरीक्षा की रूपरेखा

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर द्वारा आर्थिक क्षेत्र के नौ विभागों एवं उनके स्वायत्तशासी निकायों के खर्चों की लेखापरीक्षा की जाती है। ये विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिवों/प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों, जो कि आयुक्तों/उपशासन सचिवों एवं अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सहयोग किये जाते हैं, द्वारा नियंत्रित हैं।

राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान किये गये व्यय की तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिका 1 में दी गयी है:

तालिका-1: व्यय की तुलनात्मक स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व व्यय			
सामान्य सेवायें	27,868	31,016	39,203
सामाजिक सेवायें	37,754	43,349	49,372
आर्थिक सेवायें	28,920	31,874	38,565
सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	_*	_**	_***
योग	94,542	1,06,239	1,27,140
पूँजीगत एवं अन्य व्यय			
पूँजीगत परिव्यय	16,103	21,985	16,980
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	701	36,602	12,965
लोक ऋण की अदायगी	4,960	4,959	5,015
आकस्मिकता निधि	300	-	-
लोक लेखा संवितरण	1,22,061	1,40,432	1,48,886
योग	1,44,125	2,03,978	1,83,846
कुल योग	2,38,667	3,10,217	3,10,986

स्रोत: सम्बन्धित वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

* केवल ₹ 9 लाख, ** केवल ₹ 10 लाख, *** केवल ₹ 6 लाख

1.3 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से ली गयी है।

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर द्वारा राजस्थान सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्तशासी निकायों को शामिल करते हुए आर्थिक क्षेत्र के विभागों के व्ययों की लेखापरीक्षा सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवाओं की शर्तें) अधिनियम 1971 तथा इसके अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा एवं लेखाओं पर विनियम, 2007 के अन्तर्गत की जाती है। निष्पादन एवं अनुपालना लेखापरीक्षा के लिये सिद्धान्त एवं विधियाँ, सीएजी द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं नियम पुस्तिकाओं में निर्दिष्ट की गई है।

1.4 कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान का संगठनात्मक ढांचा



सीएजी के निर्देशों के अन्तर्गत कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्तशासी निकायों को शामिल करते हुये राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र के विभागों की लेखापरीक्षा तीन

समूहों द्वारा संचालित करता है।

1.5 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया की शुरुआत सरकार के विभिन्न विभागों/संगठनों/स्वायत्तशासी निकायों एवं योजनाओं/परियोजनाओं इत्यादि के जोखिम प्रदर्शन के आंकलन से होती है। जोखिम आंकलन, व्यय, गतिविधियों के महत्व, समग्र आंतरिक नियन्त्रणों का आंकलन एवं भागीदारों की चिंताओं पर आधारित है। इस प्रक्रिया में गत लेखापरीक्षा निष्कर्ष भी ध्यान में रखे जाते हैं।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरान्त, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का समावेश करते हुए इकाई के प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं। इकाइयों से लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर उत्तर प्रेषित करने हेतु निवेदन किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होता है, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटारा कर लिया जाता है या अनुपालना के लिए अग्रेतर कार्यवाही की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उजागर किये गये मुख्य लेखापरीक्षा आक्षेपों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए तैयार किया जाता है।

1.6 लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

पिछले कुछ वर्षों से लेखापरीक्षा ने निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के क्रियान्वयन में कई महत्वपूर्ण कमियों एवं साथ ही आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता को प्रतिवेदित किया है। अनुपालना लेखापरीक्षा के दौरान उजागर हुई कमियों को भी प्रतिवेदित किया है।

वर्तमान प्रतिवेदन में राज्य में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की भूमिका विषय पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा, राजस्थान में खनन गतिविधियों पर पर्यावरणीय मुद्दों का अनुपालन, हरितीकरण द्वारा राजस्थान

के जलग्रहण क्षेत्र का विकास एवं राजस्थान सड़क क्षेत्र के आधुनिकीकरण परियोजना का क्रियान्वयन विषयों पर तीन विषयक आधारित अनुपालना लेखापरीक्षा तथा आठ एकल अनुच्छेद शामिल हैं जिनके मुख्य बिन्दु निम्न अनुच्छेदों में दिए गए हैं।

1.6.1 कार्यक्रमों/गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा

इस प्रतिवेदन के अध्याय II में राज्य में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की भूमिका विषय पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल है। निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण बिन्दुओं की चर्चा नीचे की गई है:

राज्य में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की भूमिका

वायु (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (राज्य मण्डल) को वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण एवं कमी के लिए उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित दुनिया के शीर्ष 100 प्रदूषित शहरों की सूची में राजस्थान के पांच शहरों यथा अलवर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर को रखा गया है। इन्हें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा गैर-प्राप्ति शहरों में माना गया है। इन शहरों ने लगातार तीन साल की अवधि में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं किया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रदूषण के स्रोतों की पहचान और मात्रा निर्धारित करने के लिए इन शहरों में स्रोत विभाजन अध्ययन नहीं किए गए थे। जिसके अभाव में राज्य मण्डल वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण एवं कमी के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार करने की स्थिति में नहीं था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) या राज्य के गैर-प्राप्ति वाले शहरों के मामले में, सम्बन्धित विभाग/प्राधिकारी द्वारा प्रदूषण को कम करने और नियंत्रण के लिए कोई कार्ययोजनाएं राज्य मण्डल को प्रेषित नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (सीपीसीबी) द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों की मॉनीटरिंग राज्य मण्डल द्वारा नहीं की जा सकी, इसलिए दिशा-निर्देशों में दिये गये अधिकांश कार्यों को शुरू नहीं किया जा सका।

मार्च 2017 तक केवल 32 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों एवं दो सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का संचालन छह जिलों में हो रहा था जबकि 47.03 मिलियन जनसंख्या एवं 74.50 लाख वाहनों वाले 27 जिले वायु गुणवत्ता निगरानी के दायरे से बाहर थे। यह भी देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण के स्रोतों का भी कोई अर्थपूर्ण डेटा राज्य मण्डल और पर्यावरण विभाग के

पास नहीं था जिसके अभाव में प्रदूषण को कम करने के लिए योजना नहीं बनायी जा सकी। जाँच उपकरणों को गैर-अनुमोदित स्थानों पर स्थापित किया गया था। मॉनीटरिंग स्टेशनों पर वायु की गुणवत्ता को मापने के लिए उपकरणों की स्थापना में दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हुआ था। इससे गलत और गैर-प्रतिनिधित्व वाले परिणाम निकलने का जोखिम है।

21 नमूना-परीक्षित परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों में श्वसनीय निलम्बित कणिका तत्वों (पीएम₁₀) का वार्षिक माध्य मूल्य निर्धारित सीमा (60.00 µg/m³) के विरुद्ध बहुत अधिक था और 87µg/m³ एवं 295µg/m³ के मध्य रहा था। प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं हुई थी। वायु प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने एवं पर्यावरण प्रणाली के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर के लिए राज्य मण्डल द्वारा ना तो कोई आवधिक सर्वेक्षण किया गया था ना ही वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्पष्ट समय-सीमा के साथ कोई कार्ययोजना तैयार की गई थी।

तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता, हवा की गति एवं इसकी दिशाओं के सन्दर्भ में मौसम सम्बन्धी आंकड़ों एवं वाहनों की संख्या सम्बन्धी सूचनाएं ना तो राज्य मण्डल द्वारा एकत्र की गई थी और ना ही 27 नमूना-परीक्षित परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों द्वारा संधारित की गई थी जो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आवश्यक था।

राज्य में सहमति तंत्र के अंतर्गत आवृत्त औद्योगिक इकाईयों की श्रेणीवार संख्या का समेकित डेटा राज्य मण्डल के पास नहीं है। अपने विनियामक कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए सहमति तंत्र के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों को आवृत्त करने हेतु राज्य मण्डल द्वारा ना तो कोई सर्वेक्षण कराया गया था ना ही अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया गया था।

राज्य मण्डल द्वारा पूर्व में जारी की गई सहमति की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद सहमति के संचालन के नवीनीकरण को देखने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया था। सहमतियां जारी करने में अत्यधिक देरी थी और कुछ मामलों में सहमतियों को पूर्वव्यापी प्रभाव से जारी किया गया था। चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों के नमूना जांच तौर पर देखे गये 573 प्रकरणों में पता चला कि 74 उद्योग 14 से लेकर 3038 दिनों की अवधि तक बिना संचालन की सहमति के संचालित रहे थे। संयुक्त निरीक्षण के दौरान 12 इकाईयां संचालन में मिली यद्यपि उनकी संचालन की सहमति की समय-सीमा समाप्त हो गई थी।

सिलिकोसिस के खोजे गये एवं मरने वालों की संख्या में निरन्तर वृद्धि देखी गई। खोजे गये एवं मरने वालों के मामलों वर्ष 2012-13 में क्रमशः 304 एवं एक थे जो वर्ष 2016-17 में क्रमशः 4931 एवं 449 तक बढ़ गये थे।

राजस्थान मानवाधिकार आयोग की सिफारिश की अनुपालना में, राज्य मण्डल खानों/खदानों के समूहों के पास आवधिक रूप से परिवेशी वायु गुणवत्ता मॉनीटरिंग

करने के लिए प्रतिबद्ध था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि खानों के समूहों का विवरण निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान द्वारा राज्य मण्डल को उपलब्ध नहीं कराये गये थे। इसके अभाव में, राज्य मण्डल ने निरीक्षण की आवृत्ति के लिए ना तो कोई योजना तैयार की थी ना ही खनन समूहों के पास परिवेशी वायु निगरानी शुरू की थी।

कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन और छबड़ा थर्मल पावर प्लान्ट की सभी इकाइयां संचालन की सहमति/संचालन की सहमति का नवीनीकरण प्राप्त किये बिना ही संचालन कर रही थी, जो वायु अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन था।

यह भी देखा गया था कि जयपुर में यद्यपि 33 ईट भट्टों ने स्थापना/संचालन सहमतियों के लिए भी आवेदन नहीं किया था, राज्य मण्डल द्वारा इन इकाइयों के विरुद्ध कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। इसके अलावा, सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों के द्वारा किये गये निरीक्षणों के दौरान तीन ईट भट्टों को संचालन की सहमति के बिना संचालन में होना पाया गया बावजूद इस तथ्य के कि उनको छह: वर्ष पूर्व बंद करने के नोटिस जारी किये गये थे।

परिवहन विभाग 15 वर्षीय पुराने वाहनों को फेज आउट करने के लिए कार्ययोजना बनाने के विफल रहा। यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी कि निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र केन्द्र कार्य कर रहे थे। परिवहन विभाग ने ना तो भारी यातायात वाले स्थानों की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया और ना ही राज्य के प्रमुख शहरों में प्रदूषण का मूल्यांकन किया। प्रदूषणकारी वाहनों की निगरानी के लिए 12 में से 10 क्षेत्रों को आवृत्त करते हुए केवल 22 प्रदूषण उड़न-दस्ते उपलब्ध थे। दो क्षेत्र के छह: जिलों में कोई उड़न-दस्ता नहीं था। इसके अलावा, परिवहन विभाग में उन वाहनों की संख्या का डेटा नहीं था जो उड़न-दस्तों द्वारा निरीक्षण के दौरान अत्यधिक प्रदूषक छोड़ते हुए पाये गये थे।

प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र केन्द्रों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि परिवहन विभाग ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र केन्द्रों के स्थल और उपकरणों का सत्यापन किये बिना ही लाइसेन्स जारी कर दिये थे क्योंकि 20 लाइसेन्सधारियों ने उपकरण स्थापित नहीं किये थे लेकिन उनके पास परिवहन विभाग से अपेक्षित लाइसेन्स थे। दस मामलों में, वाहनों के परीक्षण किये बिना ही प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र केन्द्रों के ऑपरेटर द्वारा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी कर दिये गए थे। उदयपुर में एक केन्द्र कम्प्यूटर से सादे कागज पर कम्प्यूटरीकृत प्रमाणपत्र तैयार कर रहा था जबकि इन्हें राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन से आवंटित स्टेशनरी पर ही जारी किया जाना चाहिए था।

2012-17 के दौरान उच्च प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षण करने में 48 से 60 प्रतिशत की सीमा तक कमी थी।

केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण किए गए स्टेक नमूनों की संख्या वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2016-17 में 50 प्रतिशत तक कम हुई जो परीक्षण में गिरावट का संकेत देता है।

(अनुच्छेद 2.1)

1.6.2 अनुपालना लेखापरीक्षा में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेप

राजस्थान में खनन गतिविधियों पर पर्यावरणीय मुद्दों का अनुपालन

राज्य में खनिज निष्कर्षण गतिविधियां खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों एवं नीतियों के तहत विनियमित की जाती है। खनन पट्टे/खदान अनुज्ञप्तियां खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा अनुदानित किए जाते हैं। आवेदक को खनन पट्टा/खदान अनुज्ञप्ति अनुदान से पूर्व अनुमोदन और वन भूमि का गैर वन प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार अथवा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, जैसा भी प्रकरण हो से पर्यावरणीय स्वीकृति के साथ राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से संस्थापन की सहमति तथा संचालन की सहमति लेनी पड़ती है। खनन अनुज्ञप्ति अनुदान के पश्चात, पट्टाधारी को खनिजों के उत्पादन एवं पर्यावरणीय संरक्षण के लिए उपायों हेतु खान विभाग एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

हमने पाया कि खानों को संचालन की सहमति को नवीनीकृत किये बिना चलाया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना खनिज उत्पादन को बढ़ाया गया और पट्टेधारकों द्वारा संचालन की सहमति के साथ संलग्न शर्तों के उल्लंघन में खनिजों का अधिक खनन किया गया।

राज्य में अवैध खनन गतिविधियां अनियंत्रित रूप से हो रही थी। अवैध खनन के पता चले प्रकरणों में फॉलोअप के साथ-साथ निवारण उपायों की अपर्याप्तता थी। अवैध खनन को रोकने के लिये 2011 में अभिव्यक्त नीतिगत उपायों को लागू करने में भी शिथिलता थी। अवैध खननकर्ताओं को नोटिस जारी करने, मांग प्रस्तुत करने एवं दण्डात्मक राशि की वसूली में विलम्ब के कारण प्रतिरोध की भी कमी थी।

हमने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के गंभीर उल्लंघन पाये जैसे कि अरावली पर्वत श्रृंखला में अवस्थित खनन पट्टों को अनुदानित, नवीनीकृत एवं अभिवृद्धित किया गया। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अरावली पहाड़ियों के क्षेत्र में अवस्थित होने के बावजूद खनन पट्टे के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

हमने यह भी पाया कि खनन गतिविधियों से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों पर विभाग एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के द्वारा उचित ध्यान नहीं दिया गया

था। विभाग ने खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संचालन की सहमति में निर्धारित पर्यावरणीय सुरक्षा से सम्बन्धित शर्तों की अनुपालना के बारे में सूचना प्रस्तुत करने के लिये पट्टेधारियों के लिये वांछित किसी प्रकार की आवधिक विवरणी निर्धारित नहीं की थी। विभाग के निरीक्षण प्रतिवेदनों में भी किसी पर्यावरणीय मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया गया। चयनित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता कार्यालयों के 136 पट्टों में से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने 2010-17 के दौरान केवल 38 पट्टों के निरीक्षण किये थे। आगे, संचालन की सहमति की कार्यकारी अवधि के दौरान 106 पट्टेधारको ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये थे और 118 पट्टेधारको ने वार्षिक पर्यावरण विवरण प्रस्तुत नहीं किये थे। आगे, निरीक्षण प्रतिवेदन अपूर्ण, गलत एवं अविश्वसनीय थे जैसा कि संयुक्त भौतिक निरीक्षण के जांच-परिणामों तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के निरीक्षण प्रतिवेदनों की तुलना के माध्यम से सुनिश्चित हुआ। भौतिक निरीक्षण ने ऊपरी मृदा, अधिभार ढेर, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन्स के निर्माण, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपाय, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास के उपाय और बेन्चेज में खनन से संबंधित पर्यावरणीय शर्तों को पूरा करने में गंभीर कमियों एवं उदासीनता की ओर ध्यान दिलाया।

राज्य सरकार ने चयनित प्रधान खनिजों पर 2008 में पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर का आरोपण किया। उपकर के आगमों को विशेष रूप से राज्य के खनन क्षेत्रों में पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के रक्षण और पारिस्थितिकी सन्तुलन के रख-रखाव के लिये उपयोग किया जाना था परन्तु कोष ऐसी गतिविधियों के लिये स्वीकृत किये गये जो उन उद्देश्यों से मेल नहीं खाते थे जिनके लिये उपकर एकत्रित किया गया था। विभाग ने पर्यावरण प्रबन्धन कोष (₹ 295.03 करोड़) भी एकत्रित किया था परन्तु व्यय करने के लिये किसी मार्गदर्शिका के अभाव में उसे उपयोग नहीं किया जा सका।

(अनुच्छेद 3.1)

राजस्थान के हरितीकरण द्वारा जल संग्रहण विकास

राज्य सरकार द्वारा परिभ्रांषित वनों के पुनर्वास के लिए एक परियोजना “राजस्थान के हरितीकरण के माध्यम से जल संग्रहण का विकास” बनाई थी। इसमें 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान 52,750 हैक्टर भूमि उपचारित किये जाने की योजना बनाई गई थी। परियोजना 33 जिलों में से 17 जिलों¹ में संचालित की गई थी।

यह देखा गया कि सूक्ष्म योजना तैयार करते समय आधार-रेखा को उचित महत्व नहीं दिया गया फलस्वरूप विभिन्न कमियों और विसंगतियों के अलावा निर्धारित दो

¹ अजमेर, अलवर, बारां, बूंदी, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सर्वाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर

वर्ष की अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी सूक्ष्म योजनाओं की समीक्षा नहीं हुई। योजना स्तर पर परिभ्रांषित वन भूमि का वर्गीकरण नहीं किया गया जिसके अभाव में वर्गीकरण की प्रामाणिकता एवं सत्यता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

तकनीकी मानदंडों के अवलम्बन के अभाव जैसे अवमानक/अप्रमाणित बीज वितरण, तकनीकी स्वीकृतियां प्राप्त किए बिना पौधारोपण कार्य का निष्पादन, अपरिपक्व पौधों का पौधारोपण किए जाने के दृष्टांत देखे गए। मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण के प्रकरण में, सूक्ष्म योजनाओं से विचलन था और राज्य स्तरीय समिति से निर्माण पूर्व वांछित स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

संयुक्त वन प्रबंधन गतिविधियों के निष्पादन प्रकरण में, ग्राम वन संरक्षण/प्रबंधन समिति स्तर पर निधियों का अवरोधन था, महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अभाव एवं आम-सभाओं की निर्धारित संख्या सम्बन्धी निर्देशों के अवलम्बन और ग्राम वन संरक्षण/प्रबंधन समिति के निरीक्षण का अभाव था। यह भी देखा गया कि परियोजना के एक संपूर्ण पैकेज अर्थात् महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से अभिसरण को क्रियान्वित नहीं किया गया था। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के मानदंड आंतरिक एवं बाह्य अभिकरणों द्वारा पूरे नहीं किए गए थे।

(अनुच्छेद 3.2)

राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना का कार्यान्वयन

राज्य सरकार ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा सम्मिलित नहीं किए गए राज्य के गांवों को चरणबद्ध तरीके से सभी मौसम में उपयोग लिए जाने योग्य डामरीकृत सड़कों हेतु 250 से 499 (जनगणना-2001) के बीच आबादी वाले सभी गांवों को जोड़ने का निर्णय लिया (2012-13)। इसे प्राप्त करने के लिए, राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना (परियोजना) को राजस्थान सरकार द्वारा 2013-14 में शुरू किया गया। परियोजना में ग्रामीण सम्पर्क में सुधार, सड़क क्षेत्र के प्रबंधन को मजबूत बनाना और सड़क सुरक्षा में वृद्धि परिकल्पित था।

विभाग ने 250-499 के बीच की आबादी वाले सभी गांवों को सभी मौसम डामरीकृत सड़कों के साथ संपर्क प्रदान करने के लिए योजना में ध्यान रखा गया या नहीं, इसकी सूचना प्रदान नहीं की। कुछ सिविल कार्य भूमि की उपलब्धता सम्बन्धी विवाद का समाधान बकाया होने के कारण अभी भी पूर्ण होना बकाया है। कुछ चयनित खंडों द्वारा गुण नियंत्रण से सम्बन्धित, गुण नियंत्रण पंजिका के भाग-II के रखरखाव के मानदंडों को पूरा नहीं किया गया और राज्य गुणवत्ता मॉनीटर द्वारा सिविल कार्य के विभिन्न चरणों में निरीक्षण वांछित संख्या में नहीं किये गये। मुख्य क्षेत्रों में दूसरे घटक अर्थात् ग्रामीण सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण योजना हेतु सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण व प्रदर्शन वृद्धि के कार्य विलम्बित थे। इसी

प्रकार तीसरे घटक में सुरक्षित कॉरीडोर प्रदर्शन कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्य भी विलंबित था।

(अनुच्छेद 3.3)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन और धन की उचित व्यवस्था किए बिना कार्य आदेश दिये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.61 करोड़ व्यय किए जाने के बाद भी सड़कों का अपूर्ण रहना और लक्षित आबादियों को सभी मौसम सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य में विफल रहना।

(अनुच्छेद 3.4)

संवेदकों द्वारा क्योरिंग कम्पाउन्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया और पानी का उपयोग करके क्योरिंग की गई थी, लोक निर्माण विभाग द्वारा ₹ 83.55 लाख का भुगतान अनियमित था और परिणामस्वरूप संवेदकों को अनुचित लाभ प्राप्त हुआ।

(अनुच्छेद 3.5)

राष्ट्रीय राजमार्ग-112 (बर-बिलाड़ा-जोधपुर अनुभाग) पर बाईपास रोड के निर्माण के लिए कार्यदिश भूमि की उपलब्धता और समय पर उच्च वोल्टता लाईनों के स्थानान्तरण सुनिश्चित किए बिना दिया गया। इसलिए ₹ 9.50 करोड़ के व्यय किए जाने के बाद भी आबादियों को सड़क कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं करायी जा सकी।

(अनुच्छेद 3.6)

श्रम, स्टील, सीमेंट, बिटुमेन, पीओएल, प्लान्ट व मशीनरी और अन्य सामग्री घटकों के लिए कीमतों में वृद्धि के कारण संवेदकों को भुगतान करते समय लोक निर्माण विभाग द्वारा मूल्य वृद्धि के भुगतान की गणना के लिए वित्तीय बोली खोलने की तिथि के स्थान पर तकनीकी बोली खोलने की तिथि पर विचार किया गया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 1.02 करोड़ के मूल्य वृद्धि का अधिक भुगतान हुआ।

(अनुच्छेद 3.7)

ग्रामीण गौरव पथ योजनान्तर्गत सीमेंट कंक्रीट सड़कों के निर्माण के अनुमानों में मृदा खुदाई, ग्रेन्यूलर सब बेस का निर्माण और कंपैक्टेड ग्रेडेड स्टोन एग्रीगेट को बिछाने वाले गलत आईटमों को शामिल करने से ₹ 4.19 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

(अनुच्छेद 3.8)

वित्तीय औचित्यता के नियम के विरुद्ध, ग्रामीण गौरव पथ योजनान्तर्गत दो सड़कों पर ₹ 80.28 लाख का अनियमित व्यय हुआ जो अन्य योजना में पहले से ही निर्मित थी।

(अनुच्छेद 3.9)

नहर और बांध के निर्माण कार्यों का आवंटन साथ-साथ नहीं होने के कारण बांध के निर्माण पर व्यय ₹ 9.21 करोड़ अवरूद्ध हुए और किसानों को छह वर्ष से अधिक समय तक सिंचाई सुविधाओं से वंचित किया गया। इसके अलावा, अनुबन्ध के क्लॉज तीन के अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा संवेदक से ₹ 93.24 लाख वसूल नहीं किये गये थे।

(अनुच्छेद 3.10)

कार्य शुरू करने से पहले वन भूमि की निकासी प्राप्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप जल संसाधन विभाग द्वारा कुछ हिस्सों में नहर के निर्माण पर ₹ 39.87 करोड़ की निधि अवरूद्ध हुई। इसके परिणामस्वरूप किसानों को मिलने वाली सिंचाई सुविधाओं के लाभों में विलम्ब हुआ।

(अनुच्छेद 3.11)

1.7 निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों की प्रतिक्रिया

प्रारूप अनुच्छेदों को सम्बन्धित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देने हेतु उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अग्रेषित किया जाता है। उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है कि ऐसे अनुच्छेदों को सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने की सम्भावना के मध्यनजर, जो कि राजस्थान विधान सभा में उपस्थापित किया जाना है, यह वांछनीय होगा कि मामले पर उनकी टिप्पणी शामिल कर ली जाये। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि वे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित निष्पादन लेखापरीक्षाओं/प्रारूप अनुच्छेदों पर चर्चा करने के लिए महालेखाकार के साथ बैठक आयोजित करें। तदनुसार, इस प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित निष्पादन लेखापरीक्षा/प्रारूप अनुच्छेदों को सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को भेजे गये थे।

प्रारूप अनुच्छेदों एवं निष्पादन लेखापरीक्षा पर राज्य सरकार द्वारा प्रेषित सभी उत्तरों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिया गया है।

1.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य सरकार के वित्त विभाग ने निश्चय किया (दिसम्बर 1996) कि सभी अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं, जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये गये हैं, पर एक्शन टेकन नोट्स, प्रतिवेदन के विधान सभा में प्रस्तुत होने के तीन माह के अन्दर लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा कराकर जन लेखा समिति को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल किये गये अनुच्छेदों/निष्पादन

लेखापरीक्षाओं पर बकाया एक्शन टेकन नोट्स की समीक्षा में पाया गया कि सम्बन्धित विभागों से तीन एक्शन टेकन नोट्स बकाया थे (दिसम्बर 2017)।